भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4060

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कोयला खदानों के असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवार

4060. श्री अजय निषादः
श्री प्रवीन कुमार निषादः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक इकाई की कोयला–खदानों के असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्वासित परिवारों और साथ ही खर्च निधि का सहायक इकाई–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के लीजहोल्ड में आग, धंसान और पुनर्वास से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में एक बृहत योजना अनुमोदित की गई थी। बृहत योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अस्थिर स्थलों पर प्रभावित व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए), पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के ईसीएल कोलफील्ड क्षेत्रों में तथा झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए), झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड में बीसीसीएल कोलफील्ड क्षेत्रों में क्षेत्रीय सर्वेक्षण के कार्य किए गए हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य एडीडीए द्वारा पूरा कर लिया गया हैः एडीडीए की सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी प्रकाशित की जानी है। इसके अलावा, जेआरडीए ने बृहत योजना के अंतर्गत शामिल 595 स्थानों में से 588 स्थानों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है।

(ग): ईसीएल ने अस्थिर स्थानों से सभी ईसीएल परिवारों को स्थानांतरित कर दिया है। एडीडीए द्वारा कोई भी गैर-ईसीएल परिवार अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार के आवास विभाग ने अस्थिर स्थानों से परिवारों के स्थानांतरण की सुविधा के लिए अभिज्ञात पुनर्स्थापन स्थलों पर 11072 फ्लैट्स का निर्माण शुरु किया है। ईसीएल और एडीडीए द्वारा गत तीन वर्षों में किया गया कुल व्यय निम्नानुसार हैः-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
किया गया व्यय (लाख रु. में)	82.40	4788.00	16556.00

इसके अलावा, बीसीसीएल और जेआरडीए द्वारा गत तीन वर्षों में किए गए व्यय तथा स्थानांतरित किए गए परिवारों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
पुनर्वासित परिवारों की संख्या	749	634	548
किया गया व्यय (लाख रु. में)	26339	11511	9712

(घ): बृहत योजना के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) पैकेजों के अनुसार क्षतिपूर्ति, की जा रही है।

****